पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. –9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 574/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक-23.12.2024

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 23.12.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी हैः-

01.थाना- तरवाः हत्या के प्रयास में वांछित 04 अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)–

आवेदक शिवकुमार सिंह पुत्र रामदुलारे सिंह ग्राम टण्डवा खास थाना तरवाँ जिला आजमगढ को दिनांक 20-10-024 को समय लगभग 09 बजे सुबह लगभग नाली के विवाद को लेकर आवेदक के पट्टीदार जबरी भवानी प्रसाद सिंह पुत्र रामप्यारे सिंह व वैभव सिंह (विन्नी) व विपूल सिंह पुत्रगण भवानी प्रसाद सिंह व सीमा देवी पत्नी भवानी प्रसाद सिंह द्वारा गाली गलौज देते मारपीट व लाठी से मारना तथा धारदार हथियार से जान से मारने की नियत से मारने पीटना जिससे आवेदक सर में चोट लगने के कारण मै मौके पर ही बेहोश हो गया व अभी जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 300/2024 धारा 109,115(2),352,351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना व0उ0नि0 जीतेन्द्र कुमार सिंह द्वारा सम्पादित किया जा रहा है।

गिरफ्तारी की विवरण-

➡दिनाक 22.12.24 को वरि. उ0नि0 जीतेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्ता / अभियुक्त 1.भवानी प्रसाद सिंह पुत्र रामप्यारे सिंह 2.वैभव सिंह उर्फ विन्नी पुत्र भवानी प्रसाद सिंह निवासीगण ग्राम टण्डवा खास थाना तरवाँ जनपद आजमगढ को तितिरा पुलिया के पास से समय करीब 20.30 बजे गिरफ्तार कर हिरासत पुलिस मे लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

➡आज दिनाक 23.12.24 को वरि. उ0नि0 जीतेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्ता / अभियुक्त 1. सीमा सिंह पत्नी भवानी प्रसाद सिंह 2.अभिनव उर्फ विपुल सिंह पुत्र भवानी प्रसाद सिंह निवासीगण ग्राम टण्डवा खास थाना तरवाँ जनपद आजमगढ को ग्राम भिलिहीली से समय करीब 09.30 बजे गिरफ्तार कर हिरासत पुलिस मे लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

02.थाना कप्तानगंजः लावारिस कुल 77 दो/चार पहिया वाहन की हुई निलामी।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा चलाये जा रहे लावारिस वाहनो वाहन निस्तारण आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 23.12.2024 को थाना स्थानीय पर लावारिस में दाखिल वाहनों के नीलामी की प्रक्रिया की कार्यवाही की गयी जिसमे नायब तहसीलदार श्रीमती वन्दना अहिरौला तहसील बूढनपुर , प्रभारी निरीक्षक महराजगंज व थानाध्यक्ष कप्तानगंज उपस्थिति रहे थाना स्थानीय पर पूर्व मे जप्त / लावारिश वाहनो की निलामी की गयी जिसमे कुल 69 दोपहिया वाहन व 8 चार पहिया वाहन का आर0टी0ओ0 द्वारा निर्धारित मूल्य 469500 रु0 निर्धारित था जिसमे कुल 36 आवेदकगण द्वारा निलामी मे भाग लिया गया जिसमे खुली बोली मे सर्वाधिक कृष्ण कुमार पुत्र सुबाष निवासी ग्राम हाफिजपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ द्वारा सर्वाधिक बोली 501000 रु0 (पाँच लाख रुपये) की बोली बोली गयी। उपरोक्त वाहनो को सर्वाधिक बोली बोलने वाले कृष्ण कुमार को 07 दिवस के अन्दर शेष धनराशि जमाकर वाहन प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया।

निलामी मे मौजूद अधिकारी कर्मचारीगण –

1-तहसीलदार श्रीमती वन्दना अहिरौला तहसील बूढ़नपुर आजमगढ़
2-थानाध्यक्ष सच्चिदानन्द थाना कप्तानगंज आजमगढ़
3-प्रभारी निरीक्षक राजीव मिश्रा थाना महराजगंज आजमगढ़
4-हे0मो0 त्रिभुवन सिंह थाना कप्तानगंज आजमगढ़
5-समस्त अधि0 कर्मचारीगण थाना कप्तानगंज आजमगढ़

03.थाना निजामाबादः मारपीट करने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार व 01 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में।

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण–

दिनांक 04.12.24 को वादी चन्दन कुमार पुत्र श्रीलाल निवासी गौसपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ गाँव के एक दुकान पर सामान लेने गये थे तभी निखिल, एक बाल अपचारी और राम प्रकाश उर्फ कार्तिक पुत्र दीन निवासी असनी थाना निजामाबाद आजमगढ शराब के नशे मे बिना किसी विवाद के गाली गुप्ता देते हुये लाठी डण्डा व पत्थर से मारे पीटे व दाँत को तोड़ दिया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 553/24 धारा 115(2),352,351(3),117(2), 125 BNS का अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना व अग्रिम कार्यवाही हेतु उ0नि0 चन्द्रजीत यादव को सुपुर्द किया गया। सक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 125 BNS का लोप कर 118(2) BNS की वृद्धि की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण–

आज दिनांक 23.12.24 को उ0नि0 चन्द्रजीत यादव, उ0नि0 सुरज प्रसाद मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त सम्बन्धित अभियुक्त 1. निखिल पुत्र लालजीत निवासी गौसपुर थाना निजामाबाद, आजमगढ उम्र करीब 20 वर्ष व बाल अपचारी को उनके घर से समय करीब 9.30 बजे नियमानुसार पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

प्रेस-विज्ञप्ति

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना तरवां: हत्या के 01 आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास व 21 हजार रूपये जुर्माना

➡ दिनांक- 18.12.2020 को वादी मुकदमा संजय कुमार मिश्र पुत्र इन्द्रजीत मिश्र निवासी लखनपुर थाना तरवां जनपद आजमगढ़ ने थाना तरवां पर लिखित तहरीर दी थी कि दिनांक-18.12.2020 को विपक्षी ओमकार मिश्रा पुत्र देवनाथ मिश्र निवासी लखनपुर थाना तरवां जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी मुकदमा के चाचा के साथ मारपीट व कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दिया गया था।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना तरवां पर मु0अ0सं0- 184/2020 धारा 302/504 भादवि0 पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में 17 गवाह परीक्षित हुए है।

➡जिसके क्रम में दिनांक- 23.12.2024 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ कोर्ट नं0- 06 द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त ओमकार मिश्रा पुत्र देवनाथ मिश्र निवासी लखनपुर थाना तरवां जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास एवं 21 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।